



**न्यायालय श्रीमान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.**

प्र.क. / 15 निगरानी

निगरानी 1207-III-15

1. अल्ताफ हुसैन पिता मो.इस्माइलखां
2. आजाद हुसैन पिता मो.इस्माइल
3. एजाज हुसैन पिता मो.इस्माइल
4. जरीनाबी पुत्री मो.इस्माइल
5. रियाज एहमद पिता मो.इस्माइल सर्व जाति मुसलमान कृषकगण फर्दखेड़ी समस्त निवासी मो.बड़ौदिया जिला शाजापुर म.प्र.

निगरानीकर्तागण

श्री कवर सिंह उग्रवाल, फार्म  
द्वारा आज दि 26-5-15  
प्रस्तुत

बकस  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. हफीजनबाई पिता अ.रहमानखां जाति मुसलमान निवासी ग्राम मो.बड़ौदिया जिला शाजापुर
2. मो.इस्माइलखां पिता अ.रहमान जाति मुसलमान निवासी मोहन बड़ौदिया तहसील मो.बड़ौदिया, जिला शाजापुर

.....विपक्षीगण

**निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959 विरुद्ध न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, मो.बड़ौदिया के प्र.30-अ-27/14-15 में पारित प्रोसेडिंग आदेश दिनांक 15.04.2015 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी अंदर अवधि पेश है :-**

माननीय महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्नानुसार पेश है :-

**प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-**

यह कि आवेदिका/विपक्षी क.1 ने अधि.न्याया. तहसीलदार मो.बड़ौदिया में एक आवेदन वादग्रस्त भूमि सर्वे नं.26 व 27 कुल रकबा 3.050 हेक्टर का विपक्षी क.2 के विरुद्ध बंटवारे का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था विपक्षी क.1 ने निगरानीकर्तागण को बिना पक्षकार बनाए उक्त कृषिखाते का विभाजन चाहा है अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा विज्ञप्ति जारी करने पर निगरानीकर्तागण को जानकारी हुई कि अनावेदिका क.1 ने छलपूर्वक उक्त कृषिखाते का बंटवारा चाहा है जबकि निगरानीकर्तागण के पक्ष में उनके दादाजी अ.रहमान पिता खुदाबक्ष जाति मुसलमान निवासी मो.बड़ौदिया के द्वारा उनके आधिपत्य व स्वामित्व की स्वअर्जित संपत्ति जो ग्राम फर्दखेड़ी में स्थित भूमि को दो गवाहों के समक्ष दिनांक 30.6.1992 में वसीयतनामों

कवर सिंह उग्रवाल  
26/5/15  
Kongre

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ  
भाग - अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1207-दो/2015

अस्ताफ हुसैन आदि

विरुद्ध

हफीजनबाई आदि

जिला शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-6-2015	<p>आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार बडोदिया जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 30/ए-27/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 15-04-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।</p> <p>2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक के पक्ष में विवादित भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत 1992 में संपादित हुई थी। चूंकि आवेदकगण तत्समय नाबालिग थे इसलिए उनके द्वारा विवादित भूमि का नामांतरण नहीं कराया। विवादित भूमि पर आवेदकगण का लगातार कब्जा चला आ रहा है। अनावेदक द्वारा विवादित भूमि के बटवारे हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसपर आवेदक द्वारा आपत्ति की। परन्तु तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति को निरस्त कर दिया, जबकि आवेदक के पक्ष में वसीयत होने के कारण उसकी आपत्ति उचित थी।</p> <p>3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। निगरानी प्रकरण एवं अधीनस्थ तहसील न्यायालय के आदेश पत्रिका की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया। आदेश की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा विवादित भूमि के बटवारे हेतु आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जिसपर आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। उक्त आपत्ति पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात तहसीलदार ने</p>	

भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज भूमिस्वामी द्वारा सहखातेदार के मध्य बटवारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने तथा आवेदकों के भूमिस्वामी स्वत्व में सहखातेदार नहीं होने से आवेदकों की उक्त आपत्ति निरस्त की है। यदि आवेदक के पास विवादास्पद भूमि की वसीयत थी तो उसे पहले नामांतरण कराना चाहिए था। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अन्तर्गत भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज सहखातेदारों के मध्य बटवारा किये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार द्वारा दिनांक 15-4-15 को पारित किये गये अंतरिम आदेश में किसी प्रकार कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी ग्राह्य करने का औचित्य न होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ० मधु खरे)  
सदस्य

  
3/6/15